कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60567/के.मा.शि.बो./2022–23/225 दिनांक : 29/11/2022

विद्यालय का नाम – GUDHA INTERNATIONAL SCHOOL

विद्यालय का वर्तमान पता – जसरापुर, ब्लॉक खेतड़ी, पिपाली रोड़, झुंझुंनू

संस्था का नाम – दयाल शिक्षण सेवा समिति

पीएसपी कोड – P12247

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सत्र 2022–23 हेतु सी.बी.एस.सी.ई/सी.आई.एस.सी.ई/सीएआईई नई दिल्ली से संबंद्वता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांकः प.14(8) शिक्षा–1/ 2009/पार्ट–8 जयपुर दिनांक 30.03.2022 की पालना में गैर सरकारी विद्यालय को उनके नाम के सम्मुख अंकित सत्र, माध्यम, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबंद्वता प्राप्ति हेतु निम्न शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं:–

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2022–23 के लिए ही मान्य होगा।
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय–समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय/संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किये गये दिशा–निर्देश की अक्षरशः पालना की जावेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/नियमों की अक्षरशः पालना की जावेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई से प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
6. विद्यालय द्वारा (डे स्कोलर/बोर्डिंग) कक्षा का संचालन कक्षा 1 से मान्यता प्राप्त कक्षा स्तर तक किया जायेगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो सी.बी.एस.सी.ई/सी.आई.एस.सी.ई/सीएआईई से संबंधता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को सूचित करना होगा साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से संबंद्वता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
8. विद्यालय में अग्नि समन संयत्र स्थापित है एवं उसके संचालन प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं करेगा।
10. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम–2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तो की पालना की करेगा।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय–समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जावेगीं।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त कक्षा–कक्ष स्तर तक ही अनापति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तो की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम–1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

226

जिला	झुन्झुनू	ब्लॉक	खेतड़ी
विद्यालय का नाम	GUDHA INTERNATIONAL SCHOOL	संबंद्वता CBSE/CISCE	CBSE
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का सत्र	2022–23	माध्यम	ENGLISH
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	1-12	एन.ओ.सी. कक्षा स्तर	1–12

Note:- उक्त अनापति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबंद्वता की एनओसी प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा बिना मान्यता कक्षा/स्तर संकाय/विषय/माध्यम/विषय के संबंध में संबंद्धता प्रदान नहीं की जाये तथा संबंद्वता हेतु मान्यता कक्षा/स्तर संकाय/विषय/माध्यम/विषय के लिये विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

The Section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board/State government from time to time.

निदेशक
आई.ए.एस
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर